संख्या-137/2026/आई0/1348827/2026-5-6099/736/2022-6-

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 01 जून, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष, 2026-27 में लोकबन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ में डीप रिबोर, सी0डब्लू0आर0 के कार्य हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि निर्गत किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर महानिदेशालय के पत्र संख्या-29फ/10(58)22/275, दिनांक 18.05.2026 एवं शासनादेश संख्या-185/2022/आई0/220232/2022-5-6099/736/2022-6, दिनांक 30.09.2022 तथा शासनादेश संख्या-264/2023/आई0/407490/2023-5-6099/736/2022-6, दिनांक 13.10.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त शासनादेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु ''ग्रामीण अभियंत्रण विभाग'' को कार्यदायी संस्था नामित किया गया तथा शासनादेश दिनांक 13.10.2023 द्वारा लोकबन्धु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ में डीप रिबोर, सी0डब्लू0आर0 का कार्य कराये जाने हेतु धनराशि रूपये 300.87 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रूपये 150.44 लाख (एक करोड पचास लाख चौवालिस हजार रूपये मात्र) अवमुक्त किया गया है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 18.05.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त एतद्द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में लोकबन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ में डीप रिबोर, सी0डब्लू0आर0 के चालू कार्य हेतु द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि रूपये 150.07 लाख (रूपये एक करोड़ पचास लाख सात हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी0-1-812/दस-2026-231/2026, दिनाँक 28 मार्च, 2026 एवं शासनादेश संख्या-185/2022/आई0/220232/2022-5-6099/736/2022-6, दिनांक 30.09.2022 तथा शासनादेश संख्या-264/2023/आई0/407490/2023-5-6099/736/2022-6, दिनांक 13.10.2023 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

2. प्रश्नगत स्वीकृति हेतु वित्त विभाग द्वारा निर्गत वित्तीय नियमों, शर्तों एवं प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। प्रश्नगत धनराशि के व्यय में किसी भी अनियमितता के लिए संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी व उनका कार्यालय उत्तरदायी होगा।

3. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

4. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

5. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुये लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।

6. प्राविधानों को यथावत मानते हुये परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

7. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

8. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

9. प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

10. प्रायोजना के कार्य यथाशीघ्र पुनरीक्षित लागत की सीमा में पूर्ण कर लिए जाएंगे।

11. कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा।

12. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

13. प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु समय-समय पर आवंटित धनराशि पर कार्यदायी संस्था द्वारा जो ब्याज अर्जित किया गया है, उसे राजकोष में तत्काल जमा कराना सुनिश्चित किया जाय तथा आगामी किश्त हेतु प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से उक्त स्थिति से अवगत कराया जाय।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,50,07,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख सात हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 032 **लेखाशीर्षक** 4210011104200 जिला पुरुष/महिला चिकित्सालयों में सुधार, विस्तार एवं नवीनीकरण **मानक मद-**24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी0-1-812/दस-2026-231/2026, दिनाँक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा–परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. निदेशक (प्रशासन/चिकित्सा उपचार/नियोजन एवं बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. वित्त नियन्त्रक, चिकित्सा, एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. अपर निदेशक (विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
9. निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक, लोकबन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ।
10. मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ।
11. निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, 6वां-तल जवाहर भवन, लखनऊ।
12. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1/5/7, उत्तर प्रदेश शासन।
13. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।